उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

परिपत्र संख्याःसी–44 /तक0प्रको0/2017–18 दिनॉक : 8-9-2017

समस्त शाखा प्रबन्धक, "अति आवश्यक"
उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

विषयः- भारत सरकार द्वारा अनुदानित योजनाओं हेतु उपयोगिता प्रमाणपत्र दाखिल किये जाने विषयक।

नाबार्ड, लखनऊ द्वारा उपर्युक्त विषयक उपयोगिता प्रमाणपत्रों के सम्बन्ध में अपेक्षा की गयी है कि भारत सरकार की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रोजेक्टों में उपयोगित अन्तिम धनराशि के विवरण से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रत्येक दशा में नाबार्ड को प्रेषित किया जाना है,उक्त उपयोगिता प्रमाणपत्रों हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने भी नाबार्ड को प्राप्त कराये जाने की अपेक्षा की है।

अतः उक्त के सन्दर्भ में निर्देशित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा अनुदानित योजनाओं में उपयोग किए गये अनुदान के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाणपत्र विलम्बतम् दिनॉक 04.09.2017 तक प्रधान कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें ताकि समयान्तर्गत नाबार्ड को उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रेषित किये जा सके। निर्धारित अवधि में यदि किसी शाखा से उक्त वॉछित उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं होते हैं और बैंक को किसी प्रकार की आर्थिक क्षति होती है तो शाखा प्रबन्धकों का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा।

(के0पी0सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि–निम्नॉकित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित–

(1). समस्त जनपदीय प्रबन्धक,उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र की प्रति को अपने जनपद की समस्त शाखाओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(2). उप महाप्रबन्धक(कम्प्यूटर),उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रधान कार्यालय,लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र को ई-मेल द्वारा समस्त जनपदीय प्रबन्धकों को प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।

(अजय पाल सिंह)
महाप्रबन्धक (तकनीकी)